न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 85/2016

अपीलांट

भंवरलाल पुत्र रूगाराम जाति माली उम्र 65 वर्ष निवासी नाथलकुण्डी तहसील सोजत

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. तेजाराम पुत्र रूगाराम जाति माली उम्र वर्ष निवासी नाथकुंडी तहसील सोजत।
2. श्री तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री महेन्द्र चौधरी विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा वाद संख्या 50/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा नाथलकुण्डी खसरा नंबर 159, 160, 204, 184 का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 18.05.2015 पेशी नियत की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में बिना राजीनामे के जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा नाथलकुण्डी खसरा नंबर 159, 160, 204, 184 का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, साथ मे प्रस्तुत नजरी नक्शाा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा नाथलकुण्डी खसरा नंबर 159, 160, 204, 184 का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत राजीनामे प्रपत्र –4 के अन्तर्गत हमारा आपसी राजीनामा निम्न प्रकार से तय हुआ का कॉलम खाली है। इसके अतिरिक्त पहचानकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है। एवं न ही पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में पूर्ण प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे उक्त राजीनामे को वैध माना जाना कानूनन उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये बिना पूर्ण प्रक्रिया के प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा कर उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा वाद संख्या 50/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली